दिनांक— 22.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से विभागीय सभागार में निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। वस्तुस्थिति / निदेश निम्नवत् हैः—

(1) **21 वीं पशुगणनाः—**

बैठक में जानकारी दी गयी कि 21वीं पशुगणना की विस्तारित अंतिम तिथि 30 अप्रेल 2025 है। पशुगणना कार्य पूर्ण करने हेतु मात्र 09 दिन शेष है। मुंगेर जिला के द्वारा शत्–प्रतिशत ग्रामों / वार्डों में पशुगणना कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाँच जिलों यथा–गोपालगंज, बाँका, लखीसराय, नवादा एवं सीतामढ़ी के द्वारा अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक, छह जिलों (सहरसा, भागलपुर, भोजपुर, जहानाबद, कटिहार एवं कैमूर) के द्वारा 25 प्रतिशत से अधिक, ग्यारह जिलों के द्वारा (सारण, औरंगाबाद, वैशाली, जमुई, रोहतास, मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, पश्चिम चम्पारण, बक्सर एवं शेखपुरा) 10 प्रतिशत से अधिक तथा शेष जिलों की प्रगति 10 प्रतिशत से भी कम है। जिला मुजफ्फरपुर का प्रगति शून्य है।

21वीं पशुगणना अन्तर्गत जिलावार ग्रामों / वार्डो की विरूद्ध पूर्ण किये गये ग्राम / वार्ड की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	जिलान्तर्गत कुल ग्राम / वार्ड	पूर्ण किये गये ग्राम / वार्ड	प्रतिशत पूर्ण
1	मुजफ्फरपुर	1971	0	0
2	अरवल	349	1	0.29
3	सुपौल	650	4	0.62
4	किशनगंज	838	7	0.84
5	पूर्वी चम्पारण	1591	35	2.20
6	शिवहर	232	6	2.59
7	समस्तीपुर	1400	40	2.86
8	दरभंगा	1446	44	3.04
9	नालन्दा	1258	47	3.74
10	गया	3035	118	3.89
11	अररिया	856	36	4.21

12	सीवान	1641	86	5.24
13	पटना	1821	104	5.71
14	मधुबनी	1240	78	6.29
15	पूर्णियाँ	1460	141	9.66
16	शेखपुरा	374	38	10.16
17	बक्सर	1242	138	11.11
18	पश्चिम चम्पारण	1627	186	11.43
19	खगड़िया	407	49	12.04
20	बेगूसराय	1349	167	12.38
21	मधेपुरा	535	73	13.64
22	रोहतास	2206	352	15.96
23	जमुई	1573	263	16.72
24	वैशाली	1689	301	17.82
25	औरंगाबाद	1959	429	21.90
26	सारण	1945	475	24.42
27	कैमूर	1752	441	25.17
28	कटिहार	1657	473	28.55
29	जहानाबाद	658	222	33.74
30	भोजपुर	1353	483	35.70
31	भागलपुर	1849	708	38.29
32	सहरसा	577	283	49.05
33	सीतामढ़ी	961	516	53.69
34	नवादा	1167	660	56.56
35	लखीसराय	546	385	70.51
36	बांका	2167	1907	88.00
37	गोपालगंज	1636	1618	98.90
38	मुंगेर	986	986	100.00

उपर्युक्त की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर, गोपालगंज, बांका, लखीसराय, नवादा, सीतामढ़ी एवं सहरसा जिलों को छोड़कर शेष जिलों का प्रगति असंतोषजनक है। जिला–मुजफ्फरपुर की प्रगति शून्य रहने के कारण जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को कड़ी चेतावनी दी गयी। साथ ही अन्य सभी जिलें जिनकी प्रगति कम है, के जिला पशुपालन पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि भारत सरकार में भविष्य में अवधि विस्तार का प्रस्ताव नहीं है।

(2) पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कार्य की समीक्षाः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय, गया, खगड़िया, सहरसा एवं बांका द्वारा माह मार्च–2025 में बहुत ही कम संख्या में पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कराया गया है, जिसके लिए खेद व्यक्त किया गया। साथ ही कम प्रगति वाले जिलों को कार्य में प्रगति लाने एवं पैथोलॉजिकल लैब में जाँच में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

(3) एम्बुलेट्री भान द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा :–

एम्बुलेट्री भान द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या के आधार पर भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं शिवहर जिलो के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम शिविर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप शिविर आयोजन करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। जिलों को प्रतिमाह शिविर आयोजित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को भी आवश्यक अनुश्रवण हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिलों में एम्बुलेट्री भान को कार्यशील रखने तथा विभागीय योजना/कार्यक्रम यथा– के0सी0सी0 के प्रचार–प्रसार में, एम्बुलेंस एवं एम्बुलेट्री कैम्प का पूर्ण सहयोग लिये जाने का निदेश दिया गया है।

(4) AI संबंधी कार्य की समीक्षाः–

जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय, भोजपुर, सुपौल, शेखपुरा एवं बेगूसराय का अप्रैल 2024 से मार्च, 2025 तक का वार्षिक उपलब्धि का प्रतिशत बहुत ही कम पाये जाने के कारण रोष व्यक्त किया गया है। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपने–अपने जिलें अंतर्गत अक्रियाशील कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को क्रियाशील करने हेतु निदेशित किया गया।

ABIP-SS अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 (तीन) तारीख तक बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा सेक्सड सीमेन से किए गए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यों को भारत पशुधन पोर्टल पर Update कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

ABIP-SS योजनांतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्यों से संबंधित डाटा का भारत पशुधन पोर्टल पर ससमय Upload कराना सुनिश्चित कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(5) पशु बांझपन निवारण शिविरः–

पशु बाँझपन निवारण शिविर 2022–23 में आयोजित किए गए शिविरों का समेकित प्रतिवेदन नालंदा, रोहतास, भागलपुर, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेतिया, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज से अप्राप्त है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शिवहर से अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदनों को अतिशीघ्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

पशु बाँझपन निवारण शिविर वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित किए गए शिविरों का अद्यतन समेकित प्रतिवेदन, भ्रमण/निरीक्षण प्रतिवेदन एंव प्रत्येक शिविर की फोटोग्राफी (कम से कम 5 Soft Copy में) की प्रति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (वाउचर की प्रति सहीत) संबंधी प्रतिवेदनों को अतिशीघ्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(6) बाढ़ /सुखाड़ 2024 हेतु पूर्व तैयारी की समीक्षाः–

बाढ़/ सुखाड़ हेतु पटना, भोजपुर, जहानाबाद, जमुई, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, रोहतास, अरवल, खगड़िया, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों के द्वारा चारा दर का निर्धारण हेतु निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। निविदा प्रकाशन उपरान्त गया, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा एवं सहरसा जिलों द्वारा चारा दर का निर्धारण भी किया जा चुका है तथा नालन्दा, शिवहर एवं कटिहार जिलों द्वारा चारा दर का निर्धारण हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।

औरंगाबाद, बांका, वैशाली एवं बेगूसराय जिलों द्वारा चारा दर निर्धारण के लिए निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय एवं अररिया जिलों में चारा दर निर्धारण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त जिन जिलों द्वारा अभी तक निविदा प्रकाशन नही की गयी है या प्रक्रियाधीन है या जिन जिलों द्वारा चार दर का निर्धारण नही किया गया है उन सभी संबंधित जिलों को अविलंब निविदा के माध्यम से चारा दर का निर्धारण करने का निदेश दिया गया।

पशु पेयजल (cattle trough) की भौतिक स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, बांका, जमुई, शेखपुरा एवं दरभंगा जिलों में कुल कैटल ट्रफ की तुलना में कार्यशील कैटल ट्रफ की संख्या अत्यन्त कम पायी गयी। सभी संबंधित जिलों को कुल कैटल ट्रफ की तुलना में कार्यशील कैटल ट्रफ की संख्या बढ़ाये जाने का निदेश दिया गया।

(7) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की समीक्षाः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा, रोहतास, सुपौल, मुजफ्फरपुर एवं जमुर्द द्वारा दिनांक– 15.09.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए संचालित साप्ताहिक किसान क्रेडिट कार्ड शिविर के आयोजन उपरान्त बैंकों को बहुत ही कम अथवा शून्य आवेदन प्रेषित किया गया है, जो खेदजनक है।

संबंधित सभी जिलों को दो दिनों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा आवेदन बैंकों को भेजने एवं अद्यतन प्रतिवेदन से निदेशालय को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(8) समेकित मुर्गी विकास योजना –

i. समेकित मुर्गी विकास योजना अन्तर्गत लेयर एवं ब्रोयलर फार्म की योजना की समीक्षा की गयी । विभिन्न वित्तीय वर्षों में लेयर एवं ब्रोयलर फार्म की योजना अन्तर्गत अभी तक कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभार्थी को अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत करने का निदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में लेयर एवं ब्रोयलर फार्म की योजना में चयनित लाभार्थियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर खेद प्रकट करते हुए यथाशीघ्र योजना को पूर्ण करने का निदेश सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को दिया गया है।

ii) सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को NLM योजना के संदर्भ में जानकारी दी गयी एवं पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप आवेदन जेनरेट नहीं होने पर खेद व्यक्त करते हुए सभी को प्रत्येक माह में दो आवेदन निश्चित रूप से जेनरेट करने हेतु निदेश दिया गया।

iii) AHIDF योजना की जानकारी देते हुए सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को योजना का लाभ देते हुए योग्य लाभार्थियों को योजना की जानकारी देने हेतु आवेदन करने का निदेश दिया गया है।

iv) सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को वर्ष 2025–26 में लेयर एवं ब्रोयलर फार्म की प्रस्तावित योजना की जानकारी दी गयी एवं योग्य लाभार्थियों का चयन कर योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

(9) समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना –

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म (20+1, 40+2 एवं 100+5) का निर्माण यथाशीघ्र कराते हुए अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय निदेशक को निदेशित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत राज्य योजना एवं सात निश्चय–2 के तहत विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म (20+1 एवं 40+2) का चयन क्षेत्रीय निदेशक के स्तर पर किये जाने के उपरांत शेष रिक्तियों को (सामान्य कोटि के) दूसरे जिले में आवंटित किया गया है (जहां चयन के बाद भी

प्रतीक्षारत सूची में योग्य आवेदक है)। नियमानुसार नये सिरे से आवंटित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा कराने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय निदेशक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

- पूर्व में दिये गये निदेश व विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2025 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के आलोक में प्राइमरी गोट कॉपरेटिव सोसायटी का गठन यथाशीघ्र करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(10) **समेकित सूकर विकास योजना –**

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत राज्य स्कीम अन्तर्गत ''सूकर विकास योजना'' के तहत 2 मादा सूकर + 1 नर सूकर की एक इकाई के क्रय पर प्रति लाभुक को 90 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की योजना हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन), बिहार, पटना द्वारा निविदा के माध्यम से दो फर्मों यथा Swastik Foundation, 70/35 Feet Road, Vishunpur Pakri, Patna एवं M/S City Enterprises, Gouripur, P.O. + P.S.- Singheshwar Madhepura, Bihar का चयन किया गया है।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को आवेदकों का चयन कर सूकर वितरण करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, ताकि योजना ससमय पूर्ण किया जा सके।

(11) **भारत पशुधन पोर्टल से संबंधित –**

LH& DCP से संबंधित समस्त टीकाकरणों के बचे हुए डाटा को भारत पशुधन पोर्टल पर ससमय Upload कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(12) **स्थापना संबंधी मामलों की समीक्षा –**

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियो (वर्ग– 3 एवं 4) का मासिक/त्रैमासिक स्थापना प्रतिवेदन का Pdf एवं Soft copy ई–मेल ahd.sec07@gmail.com पर ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–

अपर निदेशक (पशु उत्पाद)।

ज्ञापांक –12 नि०/प०ग० (बैठक) 02/2018 (खण्ड) 1708 नि० पटना–15, दिनांक 02/05/2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)/ संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन, निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/चारा विकास पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/05/2025

अपर निदेशक (पशु उत्पाद)।